» संक्षिप्त समाचार

पूर्व सरपंच सुनील बराला की 5वीं पुण्यतिथि पर ग्रामवासियों ने दी श्रद्धांजलि

सीमा सन्देश संवाददाता

चिड़ावा। पूर्व सरपंच अरड़ावता स्वर्गीय सुनील कुमार बराला की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर झांझोत स्टैंड स्थित गगनदीप होटल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासियों, युवाओं एवं गणमान्य लोगों ने भाग लेकर स्वर्गीय सुनील कुमार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की इस दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय सुनील कुमार बराला के ग्राम विकास में दिए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में गांव की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी अकाल मृत्यु को क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया। कार्यक्रम में सुमन सुनील कुमार (सरपंच), नरेश बराला, सुमित बराला, रणवीर बुडानिया, राजेंद्र बराला, युवा नेता सुरेश भूकर, अरविंद ओला, राजेंद्र लोधीपुरा, रामसिंह बराला, मोहरसिंह, नरेश डिलान, संदीप बराला, कुलदीप पचार, राकेश डीलर, विनोद सोमरा, राजकुमार लामोरिया, जगराम जी, अमर सिंह ओला, अयूब खान, विक्की ठाकुर सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी एवं युवा शक्ति मौजूद रही।कार्यक्रम का संचालन विकास पायल ने किया।

चिड़ावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 304 लीटर अवैध शराब व 11 हजार नकद जब्त

सीमा सन्देश संवाददाता

चिड़ावा। शहर की पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 304 लीटर देशी, अंग्रेजी शराब एवं बीयर के साथ 11,032 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं कावेंद्र सिंह सागर (आईपीएस) के निदेर्शानुसार एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह राजावत एवं सर्कल अधिकारी विकास धींधवाल के मार्गदर्शन में थानाधिकारी चिड़ावा अंबिका चौधरी (प्रोबेशनर) के नेतृत्व में गठित टीम ने 7 मई 2026 को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। पुलिस ने लाखू तिराहा स्थित सत्संग भवन के पास खाली जमीन पर एक खोखे के निकट अवैध शराब बेचते हुए सुनील पुत्र शीशराम (22), निवासी पिचानवा, थाना चिड़ावा को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से कुल 304 लीटर शराब जब्त की गई, जिसमें 167 लीटर देशी शराब, 50 लीटर विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब तथा 87 लीटर विभिन्न ब्रांड की बीयर शामिल है। साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 11,032 रुपये नकद भी जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 19, 20/54 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बीटीटीआई के 98 छात्र वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज में चयनित

सीमा सन्देश संवाददाता

पिलानी। बिरला टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (बी टी टी आई) के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। संस्थान के प्राचार्य मनोज कुमार गौड़ ने बताया कि संस्थान के 98 छात्रों का चयन वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड आईएमटी मानेसर में हुआ है। यह चयन कंपनी द्वारा आयोजित बहु-स्तरीय भर्ती प्रक्रिया के तहत किया गया।भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सफल उम्मीदवारों को तकनीकी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। इसके बाद अंतिम चरण में एचआर इंटरव्यू लिया गया। इस पूरी प्रक्रिया का संचालन कंपनी के एचआर विभाग से जुड़े योगेश कुमार और दीपक यादव द्वारा किया गया।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम युवाओं को स एवं सेना में शामिल हो कर देश सेवा के लिए प्रेरित करते हैं

ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर वीर योद्धाओं (शौर्य) को किया नमन

सीमा सन्देश संवाददाता

पिलानी। ऑपरेशन सिंदूर की प्रथम वर्ष गांठ बिरला शिक्षण संस्थान के तत्वावधान में गोरवपूर्ण तरीके से गुरुवार को बिरला स्कूल पिलानी आवासीय परिसर स्थित अराधना सभागार मे बिरला शिक्षण संस्थान पिलानी के निदेशक मेजर जनरल एस एस नायर के मुख्य आतिथ्य में आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर व शहिदों के सम्मान में दो मिनिट का मौन रखा गया तथा पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों समाज के नागरिकों एवं शिक्षकों ने भाग लेकर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े भारतीय सेना के गौरव को याद किया। कार्यक्रम में जनरल एसएस नायर निदेशक बिरला शिक्षण संस्थान मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को सेना के बलीदानो से परिचित करना है। मेजर जनरल नायर ने ऑपरेशन सिंदूर के सामरिक महत्व पर अपने विचार व्यक्त कर अभियान में शामिल जांबाज सैनिकों की वीरता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य अभियान नहीं बल्कि सेना के संकल्प का प्रमाण है। सैनिकों ने अपनी जान कि परवाह किए बिना सीमाओं कि एवं देश वासियों कि रक्षा करते हैं। पिलानी जैसे शैक्षणिक संस्थान में इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं को स एवं सेना में शामिल हो कर देश सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की चुनौतियां और सफलता की कहानी पर आधारित एक लघु फिल्म भी इस मौके पर दिखाई गई। जिसे देखकर उपस्थित लोग भावुक हुए। इस मौके पर कर्नल सौम्य चक्रवृति, कर्नल शोकत अली,जगदीश प्रसाद सोनी, कर्नल अवतार सिंह आदि ने सम्बोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों द्वारा निभाई गई गौरवशाली भूमिका पर चर्चा करते हुए उत्साह का संचार किया। इससे पूर्व एनएन मिश्रा एवं विद्यार्थियों ने कविता पाठ कर माहौल में जोश भरा।

विद्यार्थियों ने कविता पाठ कर माहौल में जोश भरा

कार्यक्रम में बीईटी उपनिदेशक अजय अग्रवाल,समाजसेवी राजेन्द्र प्रसाद डाडा, बिट्स पिलानी निदेशक सुधीर कुमार बराई, बीईटी के विधी अधिकारी कपिल शर्मा,बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी प्राचार्या अचला वर्मा, चन्द्र शेखर राठौड़, डॉ हरि सिंह सांखला, डॉ अमरदीप शर्मा, कर्नल सुरेश , कैप्टन तारा चंद, कैप्टन अमर चंद, सुबेदार राम निवास ताकने, हवलदार अरविंद डांगी, हवलदार राजपाल फोगाट, जयसिंह , सुबेदार वीरेंद्र, उम्मेद खां गिडानिया सहित बड़ी संख्या में कस्बे के नागरिकों ने भाग लिया।

आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थी वास्तविक अनुभवों से जुड़ सके

मोदी वर्ल्ड स्कूल का 'एडुवेंचर टू मनाली' शैक्षणिक भ्रमण दल रवाना

- **नई परिस्थितियों में सीखने की क्षमता विकसित करते हैं शैक्षणिक भ्रमण- आकाश मोदी**

सीमा सन्देश संवाददाता

झुंझुनूं। मोदी वर्ल्ड स्कूल द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं व्यावहारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित ह्यएडुवेंचर टू मनालीह्न शैक्षणिक सह मनोरंजक भ्रमण दल आज विद्यालय परिसर से उत्साहपूर्वक रवाना हुआ। इस 6 दिवसीय एवं 5 रात्रि के विशेष टूर में कक्षा 4 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं।

चेयरमैन डॉ. दिलीप मोदी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती नीरजा मोदी, स्कूल डायरेक्टर आकाश मोदी , गरिमा मोदी,छात्रावास निदेशक कुरड़ाराम धींवा, प्राचार्य डॉ. रवि शंकर शर्मा, उप-प्राचार्या सरोज सिंह, हैड-मिस्ट्रेस उमा शर्मा एडमिशन डायरेक्टर श्याम सुंदर शर्मा, प्रशासक कमलेश कुलहरि ने हरी झंडी दिखाकर भ्रमण दल को रवाना किया।

निदेशक आकाश मोदी ने अपने संदेश में कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ विद्यार्थियों को प्रकृति, संस्कृति, अनुशासन, टीमवर्क एवं आत्मनिर्भरता का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। ऐसे भ्रमण विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ नई परिस्थितियों में सीखने की क्षमता विकसित करते हैं।उन्होंने कहा कि मोदी वर्ल्ड स्कूल में प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों के लिए इसी प्रकार के शैक्षणिक एवं एडवेंचर टूर आयोजित किए जाते हैं, ताकि विद्यार्थी सीखने के साथ-साथ जीवन के वास्तविक अनुभवों से भी जुड़ सकें। इस भ्रमण के दौरान विद्यार्थी मनाली के प्रमुख दर्शनीय स्थलों जैसे सोलंग वैली, हिडिम्बा देवी मंदिर, रोहतांग पास, अटल टनल, सिसु लेक, ओल्ड मनाली आदि का भ्रमण करेंगे। साथ ही रिवर राफ्टिंग, जिपलाइन, रैपलिंग, ट्रेकिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियों का भी आनंद लेंगे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा, खान-पान एवं आवास की विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं। ट्यूर प्रभारी फारूक अली ने बताया कि 100 से अधिक विद्यार्थी भ्रमण के लिए जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी इस ट्यूर को लेकर अत्यन्त रोमांचित एवं उत्साहित है। विद्यार्थियों के मनोरंजन की पूर्ण व्यवस्था की गई है। ज्ञात रहे कि स्कूल निरन्तर इस प्रकार के शैक्षणिक एवं प्राकृतिक भ्रमण आयोजित करता है। जिसमें क्रमबद्ध रूप से सम्पूर्ण भारत के पर्यटन स्थलों को शामिल किया जाता रहा है। भ्रमण दल के साथ सभी अध्यापक - अध्यापिकाएँ भी उपस्थित रहकर विद्यार्थियों को हर स्थान के बारे में बखूबी बताते हैं।

इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. रवि शंकर शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के भ्रमण से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, स्वावलम्बन, आत्म-विश्वास आदि भावनाओं का विकास होता है। विद्यार्थियों में प्राकृतिक स्थलों व राष्ट्रीय धरोहरों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। पेस परीक्षा के बाद आयोजित भ्रमण से विद्यार्थी पढ़ाई के दबाव से मुक्त व रिफ्रेश होकर लौटते हैं तथा वापस तनाव मुक्त वातावरण में अध्ययन कर पाते हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक मनोरंजक भ्रमण का आयोजन किया गया है। उन्होंने ट्यूर की सफलता के लिए सम्पूर्ण दल को अपनी शुभकामनाएँ दी। भ्रमण दल के साथ फारूक अली, नरेन्द्र सिंह, हरीश सैनी, सरोज सैनी, सुनिता जांगिड़ मुकेश शर्मा, हिमांशु तथा वार्डन राजेश लामोरिया उपस्थित रहेंगे।

देवरोड़ में शहीद संदीप कुमार की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, वीरांगना मंजू देवी सम्मानित

सीमा सन्देश संवाददाता

चिड़ावा। शहर के निकटवर्ती गांव देवरोड़ में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद चिड़ावा इकाई के सानिध्य में वीर बलिदानी योद्धा शहीद संदीप कुमार की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई।

कार्यक्रम में शहीद संदीप कुमार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शहीद की पत्नी वीरांगना मंजू देवी को शाल ओढ़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने शहीद के बलिदान को याद करते हुए देशभक्ति और सेवा भावना का संदेश दिया। कार्यक्रम में शहीद के पिता रामनिवास किरोड़ीवाल, पूर्व प्रधान शेर सिंह नेहरा, सरपंच प्रतिनिधि अनूप नेहरा सहित अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद चिड़ावा इकाई के कई पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान अध्यक्ष सूबेदार मेजर राम किशन डारा, संयोजक कैप्टन कुलदीप सिंह मान, उपाध्यक्ष सूबेदार वीरेंद्र सिंह कोठारी, सूबेदार दारा सिंह बेनीवाल, हवलदार उम्मेद सिंह मान, महासचिव नायब सूबेदार जय सिंह बराला, कोषाध्यक्ष हवलदार शेर सिंह नेहरा सहित हवलदार प्रकाश पिलानिया, हवलदार सतबीर, श्रीचंद, सुभाष, शीशराम, गोरधन, ज्वाल सिंह और गांव के अनेक पूर्व सैनिक एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान तथा 'भारत माता की जय' और 'बलिदानी अमर रहे' के जयघोष के साथ हुआ।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +91 44 4564 4000 I फैक्स- +91 44 4564 4022

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन सूचना

निम्न ऋणधारकों एवं सह-ऋणधारकों ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात) से सुरक्षित ऋण लिया था। निम्नलिखित ऋणधारकों एवं सह-ऋणधारकों के ऋण उनकी संबंधित सम्पत्तियों को बंधक द्वारा सुरक्षित रखा गया है। क्योंकि उन्होंने संबंधित ऋण समझौते के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को देय राशियाँ उनको जारी संबंधित नोटिसों में लिखी गयी है तथा विशेष रूप से निम्न सारणी में वर्णित है और उक्त राशियों पर संबंधित तिथियों से अनुबंध की प्रभावी दर से आगामी ब्याज भी लागू होगा तथा वह वसूला जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13(2) के नोटिस की तिथि	धारा 13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	119302228	गृह ऋण	30.04.2026	48,80,454.87/-

ऋणधारकों और सह-ऋणधारकों का नाम: 1. संदीप शर्मा 2. शंकुतला शर्मा

संपत्ति का पता: रामजी विहार योजना, ग्रामः माग्यावास, तहसीलः सांगानेर, जिलाः जयपुर, राजस्थान-302020 में स्थित आवासीय प्लॉट संख्या 08 और 09 पर निर्मित के चौथे तल पर इकाइ/फ्लैट संख्या 504 के समस्त खण्ड व हिस्से, कुल क्षेत्र 1482.95 वर्ग फीट और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः 40 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिमः अन्य योजना, उत्तरः प्लॉट संख्या 07, दक्षिणः 40 फुट चौड़ी सड़क

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13(2) के नोटिस की तिथि	धारा 13(2) के नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2.	147277338	सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण	13.04.2026	7,24,114.20/-

ऋणधारकों और सह-ऋणधारकों का नाम: 1.फि रोज रंगरेज 2.प्रवीण बानू

संपत्ति का पता: ग्रामः फतेहनगर, वार्ड नं. 17, तहसीलः मावली, मस्जिद के पास, जिलाः उदयपुर, राजस्थान-313205 के अराजी संख्या 222 स्थित पट्टा संख्या 591 सहित प्लाट के समस्त खण्ड व हिस्से, प्लाट क्षेत्र 616 वर्ग फीट और **इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्वः सलीम भाई का नोहरा, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः अकरम भाई रंगरेज का घर, दक्षिणः मोहम्मद हुसैन जी रंगरेज का घर**

आपको एतद्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर, ऊपर सारणी में दर्शाई राशियों को संबंधित तिथियों से, उस पर लगे आगे के अनुबंध में ब्याज दर तथा अन्य लागतों, प्रभारों आदि सहित **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)**को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात) को देय राशि वसूल करने के लिये, बंधक रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा/इसके अलावा उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 09.05.2026
स्थान- राजस्थान
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एकीकृत और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

GST टीम की कार्रवाई, देर रात तक चली जांच

सीमा सन्देश संवाददाता

चिड़ावा। कस्बे में गुरुवार को CGST टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई किए जाने की सूचना सामने आई है। जानकारी के अनुसार टीम ने शहर के दो किराना स्टोर एवं गोदामों पर जांच कार्रवाई की। इस दौरान दस्तावेजों और खातों की गहन जांच की गई।

बताया जा रहा है कि कार्रवाई देर रात्रि तक जारी रही, जिससे व्यापारिक क्षेत्र में हलचल का माहौल बना रहा। सूत्रों के अनुसार टैक्स संबंधी दस्तावेजों एवं लेनदेन की जांच की गई। राहुल किराना स्टोर की ओर से एडवोकेट विक्रम सिंह शेखावत ने पैरवी करते हुए फर्म के खाते चेक करवाकर आवश्यक CGST टैक्स जमा करवाया, जिसके बाद मामले का समाधान करवाया गया।कार्रवाई के दौरान बाजार में लोगों की भीड़ लगी रही और व्यापारी वर्ग में चर्चा का माहौल बना रहा। हालांकि विभाग की ओर से आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है।

पूर्व सरपंच कुरड़ाराम का निधन

सीमा सन्देश संवाददाता

झुंझुनूं। ग्राम पंचायत सीगड़ा के सन् 2005 से 2010 तक सरपंच रहे कुरड़ाराम सीगड़ा का गुरूवार को निधन हो गया` झुंझुनू पंचायत समिति की पूर्व प्रधान व भाजपा नेत्री सुशीला सीगड़ा के पारिवारिक सदस्य कुरड़ाराम को उनके सरपंच कार्यकाल के दौरान स्वच्छता पुरस्कार के रूप तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा दिल्ली में सम्मानित किया गया था । कुरड़ाराम अपने पीछे पत्नी मीरा पुत्र सुनिल व अनिल सहित भरापूरा परिवार छोड़कर गए है।

पेयजल कनेक्शन को लेकर विवाद, वकील और वार्डवासी आमने-सामने

सीमा सन्देश संवाददाता

चिड़ावा। शहर के कोर्ट परिसर के सामने स्थित वार्ड नंबर 26 में शुक्रवार को पेयजल कनेक्शन को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। वकीलों और स्थानीय वार्डवासियों के बीच तीखी बहस होने से क्षेत्र में कुछ देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। वार्डवासियों का आरोप है कि कुछ वकील बिना उचित अनुमति सीधे बोरवेल से पेयजल कनेक्शन करवा रहे हैं, जिससे इलाके की पानी वितरण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उनका कहना है कि नियमों की अनदेखी कर किए जा रहे कनेक्शनों के कारण आम लोगों को भविष्य में पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, वकीलों ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पानी जैसी मूलभूत सुविधा पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है। उनका कहना है कि आवश्यकता के अनुसार वैध प्रक्रिया के तहत ही कनेक्शन लिए जा रहे हैं और किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा। विवाद बढ़ने पर वार्डवासी उपखंड कार्यालय और जलदाय विभाग पहुंचे तथा मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझाइश के बाद स्थिति शांत हुई। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

कार्यालय तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड़

क्रमांकः भू.अ./2026/1646 दिनांकः 08.5.2026

विज्ञप्ति

हरखस आम को सूचित किया जाता है कि श्रीमति भगौती देवी उर्फ भगवती देवी पत्नि श्री नाथाराम उर्फ नत्थुराम जाति गुर्जर निवासी टापरी रोड़, बासडी कस्बा वच तहसील कोटपूतली की वसियतनामा दिनांक 08.09. 2022 को करवाया गया था। ग्राम बड़ाबास के खसरा नम्बर 723/0.79, 724/0.46, 726/1.37, 727/0.94, 728/0.90, 746/0.79 हैक्ट० इन खसरा नम्बरो में सुनिल कुमार, विक्रम सिंह पिता माड़ाराम हिस्सा 1/2 व सुबेसिह पुत्र रामौतार हिस्सा 1/2 समस्त जाति गुर्जर निवासी बासड़ी तहसील कोटपूतली के सवियत का नामान्तरण खुलना है कि अगर किसी व्यक्ति को उज्ज/आपत्ति हो तो अद्योहस्तारकर्ता के समक्ष सात दिवस में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज कराये।

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील कोटपूतली-बहरोड

शुभम् हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड
कार्पो. कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरूग्राम -122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल : customercare@shubham.co, वेबसाईट - www.shubham.co

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसमें आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

यह आपको सूचित किया जाता है कि धरोहर ऋणकर्ता **शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय 608, 609, छठवीं मंजिल, ब्लॉक–सी अंसल एम्पेरियल टॉवर, कम्युनिटी सेन्टर, नारायणा विहार, न्यू दिल्ली–110028 (इसके पश्चात 'एसएचडीएफसीएल' के रूप में संबोधित) द्वारा आपके ऋण खाते को एनपीए के तौर पर घोषित कर चुका है एवं एसएचडीएफसीएल के आपके ऋण खाते के विरुद्ध संपूर्ण ऋण का भुगतान करने के उत्तरदायी है। आपको उपरोक्त राशि पर अनुबंध दर पर लागू भविष्य ब्याज के साथ प्रासंगिक व्यय, मूल्य, शुल्क आदि का भुगतान करने के उत्तरदायी है। इसलिए इस सूचना के दिनांक से 60 दिवस में एसएचडीएफसीएल को आपके संपूर्ण दायित्व का भुगतान करने के लिए आपको बुलाया जाता है असफल रहने पर एसएचडीएफसीएल को कानून की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगी। ऋणकर्ताओं एवं धरोहर संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. स.	ऋण खाता क्रं. ऋणकर्ता (ओं) का नाम	ऋणी का पता	मांग सूचना दिनांक एवं मांग राशि	सुरक्षित संपत्ति
1	लोन नं. 0JAI2112000005041796, अनूप सिंह, धर्मेंद्र	320 पहली मंजिल स्वास्थ्य केंद्र के सामने पत्रकार कॉलोनी, मान सरोवर जयपुर, राजस्थान – 302020	14-04-2026 & ₹ 21,15,623 /-	फ्लैट नंबर 108, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 309, पत्रकार कॉलोनी, सेक्टर– 5 ग्राम धोलाई , तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान – 302020, क्षेत्रफल– 1150 वर्ग फुट

स्थान : गुडगाँव
दिनांकः 08.05.2026
प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

पोदार हैकफेस्ट 2026 में दिखा नवाचार का जोश

- **22 राज्यों के युवा दिग्गजों ने लगाया दिमागी लोहा**

सीमा सन्देश संवाददाता

नवलगढ़। दी आनन्दीलाल पोदार ट्रस्ट द्वारा संचालित सेठ जी.बी. पोदार कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय तकनीकी महोत्सव पोदार हैकफेस्ट 2026 का भव्य समापन उत्साह, नवाचार और तकनीकी प्रतिभा के अद्भुत प्रदर्शन के साथ हुआ। इस टेक्नोलॉजी महाकुंभ में देशभर से आए युवाओं ने भविष्य की चुनौतियों के समाधान हेतु अत्याधुनिक डिजिटल मॉडल्स, मोबाइल एप्लिकेशन, वेबसाइट्स और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया।

कम्प्यूटर विज्ञान विभाग के डीन डॉ. एच.पी. सिंह ने बताया कि पोदार हैकफेस्ट 2026 ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त पहचान स्थापित की है। प्रतियोगिता में देश के 22 राज्यों के 70 शहरों से आए 92 शिक्षण संस्थानों के 322 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग तथा स्टार्टअप एवं बिजनेस इनोवेशन से जुड़े मॉडलों को प्रभावशाली प्रस्तुतियों के माध्यम से जूरी के समक्ष रखा। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक पोदार ट्रस्ट के चेयरमैन राजीव के. पोदार रहे। उनके साथ देश के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के कौशल का मूल्यांकन किया। जूरी पैनल में गीतु चक्रवर्ती झ उपाध्यक्ष, टेलीपरफोर्मेंस, अतुल कुमार शर्मा - सीनियर डायरेक्टर, टेलीपरफोर्मेंस, शिवम अग्रवाल सीओओ, अप टू स्किल,अतुल गर्ग, सीओओ डीजी सक्षम, डॉ. गुंजन एस. झाझड़िया, संस्थापक निदेशक, आकलन रहे। टी.पी.ओ. अनिल कुमार शर्मा ने परिणामों की घोषणा की।

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड GRIHUM

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रएनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014। शाखा बंद इकाईः इकाई संख्या 8बी, 8वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 39, बच्छराज जी का बाग, सरदारपुरा, जोधपुर, राजस्थान - 342003

ई-नीलामी- बिक्री सूचना सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल आस्ति की बिक्री

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002(अधिनियम) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 व 9 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा जनसामान्य को और विशेष रूप से ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** और (इसके बाद अधिनियम के अनुसार 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में संदर्भित किया है) के पास बंधक रखा है, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस की पालना में अधिनियम की धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम के नियम 8 व 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राप्त कर लिया है।

सुरक्षित आस्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से 26.05.2026 को 'जो है जहां है', 'जो है क्या है' और 'वहां जो भी है'के आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा आमजन को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com. पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

क्र सं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि (बी)	कब्जे का प्रकार(सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित राशि (ई)	ईएमडी (आरपी का 10 प्रतिशत) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि(जी)	बोली वृद्धि (एच)	सम्पत्ति निरीक्षण तिथि व समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात भार/ कोर्ट केस, यदि कोई हो, (के)
1.	ऋण संख्या LAP00622000000 05041592 और HL0006220000 0005041181 ओम प्रकाश (ऋणधारक) राधा देवी (सह-ऋणधारक)	नोटिस की तिथिः 10-05-2025 कुल देय राशिः रुपये 1315892.00 (रुपये तेरह लाख पंद्रह हजार आठ सौ बानवे मात्र) जिसमें LAP00622000000005041592 में रुपये 354360.00 और HL00062200000005041181 में रुपये 961532.00 की बकाया राशि शामिल है, जो 10-05-2025 के अनुसार देय है, साथ ही वसूली तक 15.35% और 13.35% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय।	भौतिक	प्लॉट संख्या 42, खसरा संख्या 968/52, ग्राम कापरदा, बिलड़ा, जिला जोधपुर (जिसे आगे उक्त संपत्ति कहा गया है) के समस्त खण्ड व हिस्से, और प्लॉट की सीमाएँ उत्तरः- प्लॉट संख्या 41, दक्षिणः- प्लॉट संख्या 43, पूर्वः- अन्य खसरा भूमि, पश्चिमः- मार्ग क्षेत्रफल 225 वर्ग याईस	रु.900000/- (रुपये नौ लाख मात्र)	रु. 90000/- (रुपये नब्बे हजार मात्र)	25.05.2026 सायं 5 बजे से पहले	10,000/-	18.05.2026 (प्रातः 11- सायं 4 बजे)	26.05.2026 (प्रातः 11- सायं 2)	निल

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी स्वयं की पूछताछ करें और अतिरिक्त शुल्क, भारों और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोलियां जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति करों, बिजली/पानी का बकाया और संपत्ति से जुड़ा कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और जो नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पता- प्लॉट नंबर-68 तृतीय तल गुड़गांव हरियाणा-122003. हेल्पलाइन नंबर- 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी Support@bankeauctions.com संपर्क -व्यक्ति धारनी पी, ईमेल आईडी- dharani.p@c1inida.com संपर्क नंबर- 9948182222 से अग्रिम रूप से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर-411014 'गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के नीलामी आय खाता बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड खाता संख्या-09155100028 और आईएफएससी कोड- ICIC0000915 के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करना आवश्यक है, 25.05.2026 को या उससे पहले किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर आहरित किया और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करें और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर अपने पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को अपलोड किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए यहां पता -पताःइकाई संख्या 8बी, 8वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 39, बच्छराज जी का बाग, सरदारपुरा, जोधपुर, राजस्थान - 342003 मोबाइल नंबर +91 8281138143 ई-मेल आईडी p.adith@grihumhousing.com को ई-मेल व स्व-अभिप्रमाणित हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता है। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु नियम व शर्तों के अधिक विवरण के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com या www.grihumhousing.com पर जाएं।

यह सूचना ऋणधारक/सह-ऋणधारक/बंधककर्ता(ओं) जमानतदार(ों) को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम - 2002 के के नियम 8(6) के अधीन 15 दिनों के नोटिस के रूप में भी ली जाये।

किसी भी स्थिति में यदि स्थानीय भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र की सामग्री में कोई अंतर हो, तो द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र की सामग्री ही मान्य होगी।

दिनांकः 09.05.2026, स्थानः राजस्थान
हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड